



न्यायालय-माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र. (केम्प उज्जैन)

प्र.क्र.- / 2013-14 पुनरीक्षण

2042 / I / 14

Handwritten notes in Hindi, including the name 'श्रीमती अनिताबाई' and other illegible text.

1. होकमसिंह पिता ओंकारसिंहजी राजपूत,  
2. विजेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंहजी राजपूत  
निकाहीगछा - ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन, म.प्र.  
निगरानीकर्ता म.प्र. - बनाया

1. श्रीमती अनिताबाई पति स्व. गोनीसिंहजी राजपूत, निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.
2. गोरधनसिंह पिता स्व. समंदरसिंहजी राजपूत, निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.
3. ओंकारसिंह पिता समंदरसिंहजी राजपूत, निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन प्रत्यर्थात्

XXXIX(a)BR(H)-11

भाकमसिंह आदि विरुद्ध श्रीमती अनीताबाई

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक दिनांक 26/2/14

दिनांक 26/2/14

आवेदन

प्रकरण क्रमांक दिनांक

दिनांक

1. 26/2/14 प्रकरण में अवलाकन किये गए आवेदक अभिवक्ता द्वारा मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के विन्दु क्रमांक 26/2/14 पर दिनांक 26/2/14 अर्थात् आवेदन के अवलाकन दिनांक 26/2/14 पर निराकरण अनुविभाग अधिकायक अर्थात् ब्रादश दिनांक 23/6/14 के दिखने पर को भेद है अर्थात् आवेदन के अवलाकन के समय शता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों के अनुपस्थित रहने के कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का निराकरण एकपक्षीय रूप से किया गया है बाद में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35 का आवेदन दिए गए पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन का निराकरण करते हुए सजा प्रकरण की आगामी कार्यवाही में भाग लेने कावेदन आदेश दिए गए है प्रकरण के लम्बाया अवकाश अनुविभागीय अधिकारी के ब्रादश न भेद हुए प्रतीत नहीं होता है प्रकरण का निराकरण गुणवत्ता पर ध्यान दे कर आवेदकों को लम्बाया अवकाश में अनुविभागीय अधिकारी के ब्रादश के दर्शित परिस्थिति में यह निर्णयना अर्थात् को लम्बाया अवकाश सुचित है प्रकरण उपरि उल्लिखित है

2/2/14